

International Journal of Multidisciplinary Trends

E-ISSN: 2709-9369

P-ISSN: 2709-9350

www.multisubjectjournal.com

IJMT 2025; 7(10): 34-38

Received: 26-07-2025

Accepted: 30-08-2025

गुलशन कुमार रजक

शोधार्थी, विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र
विभाग, तिलकामाँझी भागलपुर
विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार
भारत

ग्राम विकास में ग्राम पंचायत की भूमिका

गुलशन कुमार रजक

सारांश

प्राचीन 'ग्राम गणतंत्र' में पंचायतों की स्थापित परंपरा के संदर्भ में स्थानीय संस्था के रूप में ग्राम पंचायत का ग्रामीण भारत में एक लम्बा इतिहास है जिसका विस्तृत विवरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सतरहवें अध्याय में तथा शुक्राचार्य के नीतिसार में मिलता है जिसे पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उद्धृत किया है। पंचायत भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। यह हमारी गहन सूझ-बूझ के आधार पर व्यवस्था निर्माण करने की क्षमता का परिचायक है। यह हमारे समाज में स्वाभाविक रूप से समाहित स्वावलम्बन, आत्मनिर्भरता एवं सम्पूर्ण स्वतंत्रता के प्रति लगाव का घोटक है।

इन पंचायतों की भूमिका मुख्य रूप से विवादों का निपटारा करना था, जबकि जातीय पंचायतें सदियों से चलन में थीं जो अपने समाज की समस्याओं का निपटारा करती थीं। शुरु-शुरु में पंचायत किसी निश्चित क्षेत्र से चुने पाँच प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक निकाय होती थी। इसका निश्चित क्षेत्र एक गाँव हुआ करता था। देश और राज्य की सीमाएं बड़ी-छोटी होती रही। भाषा और सत्ता के आधार पर देश और राज्य की व्यवस्था में परिवर्तन होता रहा, परन्तु गाँव/पंचायत एक स्थिर इकाई बना रहा। भौगोलिक एवं सामाजिक दोनों तरह से इन सभी बदलावों से अछूता रहा। सहमति जन्य प्रकृति के कारण पंचायतें एक लम्बी अवधि तक कार्यरत रही लेकिन मुगल काल तक आते-आते इनकी प्रभावकारिता कम हो गयी। पुनः ब्रिटिश शासनकाल में फेमिन कमीशन तथा 1882 के रिपन प्रस्ताव ने स्थानीय ग्रामीण मामलों के प्रशासन से लोगों को सम्बद्ध करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों को गठित और विकसित करने पर जोर दिया गया। परिणामस्वरूप कई प्रांतों में सीमित कार्यों के साथ ग्राम पंचायतों को गठित किया गया जिसे स्वतंत्रता आन्दोलन के नेताओं का भरपूर साथ मिला। गाँधी जी का ग्राम स्वराज की संकल्पना ने भी पंचायती राज की अपरिहार्यता को स्वीकार किया।

कुटशब्द: ग्राम गणतंत्र, स्थानीय संस्था, ग्रामीण भारत, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, व्यवस्था निर्माण, प्रभावकारिता

प्रस्तावना

आजादी के बाद स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने, ग्राम के लोगों की उसमें भागीदारी बढ़ाने, कल्याणकारी योजनाओं में गति लाने तथा स्थानीय स्तर पर छोटे-छोटे विवादों को आपस में सुलझाने के उद्देश्य से भारत में अन्य राज्यों के भाँति बिहार पंचायती राज अधिनियम, 1947 बिहार विधान मंडल द्वारा पारित किया गया। बाद में 1957 में गठित बलवंत राय मेहता कमीटी ने प्रमुख रूप से ग्राम, प्रखंड तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन तथा इन संस्थाओं को समुचित अधिकार, कार्य और जिम्मेवारी सौंपने, सामुदायिक विकास कार्यों में स्थानीय स्तर पर निर्वाचीत प्रतिनिधियों को भागीदारी देने तथा प्रशासन की भूमिका केवल कानूनी सलाह देने तथा सीमित रखने संबंधित सुझाव दिए। त्रि-स्तरीय पंचायती राज का शुभारम्भ भी यही से हुआ। अधिकांश राज्यों ने इसी के आलोक में अपने अधिनियम बनाए। बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1961 पारित किया गया।

इस प्रकार बिहार में त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को सही रूप देने हेतु जिला स्तर पर, जिला परिषद्, प्रखंड स्तर पर, पंचायत समिति तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत को कारगर ढंग से लागू करने का राज्यादेश निर्गत हुआ। पुनः पंचायती राज व्यवस्था को पुर्नजीवित करने तथा प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से गठित अशोक मेहता समिति (1978), जी.वी.के. राव समिति (1985) तथा डॉ.एल. एम. सिंघवी समिति के रिपोर्ट तथा अनुशंसा के आधार पर 1992 में संविधान के 73वें संशोधन को पारित किया गया और पंचायती राज को पूर्णतः संवैधानिक रूप प्रदान किया गया। इस संशोधन के द्वारा पंचायतों को न केवल विकास संबंधी अधिकार प्राप्त हुए, बल्कि उन्हें राजनीतिक महत्व भी प्राप्त हुआ। भारत सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में बिहार सरकार ने बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 पारित किया गया और ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना सं. 4835 दिनांक 4 सितंबर, 1993 द्वारा विधिवत 23 अगस्त, 1993 से सम्पूर्ण राज्य में लागू कर दिया गया। पुनः बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 यथा अद्यतन संशोधित को निरसित एवं प्रतिस्थापित करने हेतु बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 पारित किया गया जिसे क्रमशः 2006, 2008, 2009, 2010 एवं 2011 अधिनियमों द्वारा संशोधित किया गया है। साथ ही उपरोक्त अधिनियम की धारा 146 द्वारा

Corresponding Author:**गुलशन कुमार रजक**

शोधार्थी, विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र
विभाग, तिलकामाँझी भागलपुर
विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार
भारत

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल ने बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 की रचना की। इस प्रकार पंचायत एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में शुरू होकर बहुत सारे अधिनियमों के दायरे से होते हुए आज एक संवैधानिक संस्था के रूप में हमारे सामने क्रियाशील है पर संस्था या व्यवस्था तो एक माध्यम मात्र होती है। इसकी सार्थकता तो इसके व्यवहार में होती है। उसके आधार पर बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पंचायत राज विभिन्न संस्थाओं का व्यवहारिक स्वरूप कुछ इस प्रकार उभर कर सामने आता है

1. ग्राम सभा व्यवहार के आधार पर पंचायत राज का लोक केन्द्रित स्वरूप है यहाँ जनता द्वारा चुने गए ग्राम पंचायत प्रतिनिधि जनता के समक्ष उपस्थित होकर उनके प्रश्नों के उत्तर एवं उनकी जिज्ञासाओं को पूरा करने की चेष्टा करते हैं। यह गणतंत्र की सबसे अनूठी और पंचायती राज का सबसे मौलिक स्वरूप है। ग्राम सभा में ही गणतंत्र की धारणा लोगों के लिए तथा लोगों द्वारा वाला स्वरूप परिलक्षित होता है।
2. ग्राम सभा ही वह आधारशिला है जिस पर पंचायती राज का पूरा विकसित ढाँचा अवस्थित है।
3. ग्राम पंचायत पंचायती राज का सबसे जमीनी संस्थागत स्वरूप है। यही एक मात्र विरुद्ध निर्वाचित सदस्यों की संस्था है। यहाँ तक कि इस संस्था के प्रधान, मुखिया भी सीधे जनता से चुनकर आते हैं। ग्राम पंचायत एक विशुद्ध संस्था इसलिए भी है कि इसमें बाहर का कोई अन्य व्यक्ति सदस्य नहीं होता, यह जनता द्वारा सीधे निर्वाचित सदस्यों की संस्था है जो जनता के बीच रह कर संस्थागत स्तर से काम करती है।
4. पंचायत समिति संस्थाओं की संस्था है यह ग्राम पंचायतों को नियमित एवं सुचारु रूप से चलने में सहायक की भूमिका में भी है और समूह नायक की भूमिका में भी। पंचायत समिति स्तर पर पहली बार पंचायत राज प्रशासन से सम्पर्क में आता है और उसके माध्यम से उठकर क्षेत्र के आधार पर कार्यकलापों का संकलन एवं संपादन करता है यहाँ पंचायत राज अपने नियामक स्वरूप में अवस्थित है।
5. जिला परिषद् पंचायत राज के समन्वयक स्वरूप में अवस्थित है। यह तीन स्तरों पर समन्वय करता है— पहला, पंचायत समितियों के बीच जिसका प्रतिफल जिला स्तरीय योजना निर्माण होता है। दूसरा, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय जिसका प्रतिफल पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के क्रियाकलाप का निर्धारण होता है। तीसरा, प्रशासन एवं शासन के साथ समन्वय जिसका प्रतिफल पंचायत राज का नीतिगत स्वरूप होता है।

पंचायत राज के इन तीनों स्वरूपों में एकरूपता भी है और विविधता भी। एकरूपता इसलिए कि ये सभी निकाय हैं। विविधता इसलिए कि सभी अपने आप में स्वतंत्र भी है और एक दूसरे से जुड़े हुए भी। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय विकास एवं स्थानीय एकजुटता के माध्यम से समाज का कार्याकल्प हो सकता है। पंचायत राज संस्था एक स्वायत्त निकाय है यह एक स्थानीय स्वशासन की संस्था है जो अपने आप में विधायिका भी है, कार्यपालिका भी और न्यायपालिका भी। यह ग्राम सरकार है जिसे ग्राम स्वराज के लिए काम करता है।

ग्राम पंचायत पंचायती राज संस्था की तृणमूल स्तर की इकाई है जो इसके राज कहे जाने को सार्थकता प्रदान करती है किसी भी राज से संबंधित होने वाले तंत्र के सामान्यतः तीन अधिकार होने आवश्यक है—

कर लगाने का अधिकार, योजना बनाने का अधिकार एवं क्रियान्वयन करने का और सुरक्षा दल गठित करने एवं संचालन

करने का अधिकार। पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में केवल ग्राम पंचायत ही ऐसी संस्था है जो राज होने की लगभग तीनों शर्तों को पूरा करती है यह कर भी लगा सकती है यह अपनी योजना बना कर उस पर अमल भी कर सकती है साथ ही यह ग्राम रक्षा दल के माध्यम से अपनी सुरक्षा की भी व्यवस्था कर सकती है जो न पंचायत समिति कर सकती है और न ही जिला परिषद्। ग्राम पंचायत हमारे गणतंत्र की सबसे अनोखी संस्था है। यह अनोखी इसलिए भी है कि यह निर्वाचित सदस्यों की विशुद्ध सभा है।

इसका कारण यह है कि ग्राम पंचायत में केवल निर्वाचित सदस्य ही होते हैं। पंचायत समिति, जिला परिषद्, विधान सभा, लोक सभा में निर्वाचित सदस्यों के आलावा मनोनीत या किसी और संस्था के लिए निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। यहाँ तक कि इसका मुखिया भी जनता द्वारा ही निर्वाचित होता है, निर्वाचित सदस्यों द्वारा नहीं। इसके आलावा ग्राम पंचायत ही हमारी सदियों पुरानी परम्परा से चली आ रही पंचायत व्यवस्था का संस्थागत एवं विकसित रूप है। इसके सदस्यों की संख्या भले ही बढ़ गई हो, उन्हें चुनने का ढंग बदल गया हो, उनका सामाजिक आधार बदल गया हो पर वे हैं जनता के बीच के ही। वे चुने जाने के बाद कहीं चले नहीं जाते हैं। अपने लोगों, अपने चुनने वालों के बीच ही उनका अभिन्न अंग बन कर रहते हैं।

इन्हीं सब कारणों से ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत राज की सबसे महत्वपूर्ण संस्था हैं और इसके निर्वाचित सदस्य सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि। उनका उत्तरदायित्व सीधे जनता के प्रति है न कि प्रशासन या शासन के प्रति। इसलिए उनका सशक्त, जागरूक एवं सक्रिय होना पंचायती राज की पहली आवश्यकता है और निर्णायक लक्ष्य भी। यही कारण है कि ग्राम पंचायत का क्षेत्र भौगोलिक या प्रशासक आधार पर न होकर जनसंख्या आधारित है। ग्राम पंचायत का क्षेत्र लगभग 7000 की जनसंख्या पर जिला दंडाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें एक से अधिक ग्राम भी हो सकते हैं। जबकि बड़ी बात जनसंख्या वाले नाम से ऐसा लगता है कि अधिनियम में दी गई परिभाषा के मुताबिक ग्राम पंचायत एक राजस्व गाँव स्तर का पंचायत हो पर ऐसा नहीं। राजस्व गाँव तो ग्राम सभा का आधार है, ग्राम पंचायत का आधार नहीं।

वास्तव में कई राजस्व गाँव इतने बड़े हैं कि इनमें कई ग्राम पंचायतें हैं और अधिकतर ग्राम पंचायतें ऐसी हैं कि जिनमें कई राजस्व गाँव हैं। अतः उन्हें उतनी ही ग्राम सभाएँ करनी पड़ती हैं और जिस राजस्व गाँव में कई ग्राम पंचायतें हैं वे अपनी अलग-अलग ग्राम गठित करती हैं।

ग्राम पंचायत की संरचना

- एक ग्राम पंचायत में एक या एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं।
- जिला दंडाधिकारी द्वारा अधिसूचित यथा संभव 7000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है।
- ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया कहलाता है।
- ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव यथा संभव 500 की जनसंख्या पर अधिसूचित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से सीधे मतदान के जरिए होता है।

ग्राम पंचायत की बैठक

- ग्राम पंचायत की बैठक दो माह में कम से कम एक बार पंचायत कार्यालय में करनी जरूरी है।
- बैठक की सूचना में बैठक का स्थान, तिथि, समय एवं बैठक में विचारणीय विषय अंकित रहेगा।

- मुखिया जब भी उचित समझे तब और यदि एक तिहाई सदस्य बैठक करने के लिए लिख कर दे तो मुखिया को 15 दिनों के अन्दर विशेष बैठक बुलानी होगी।
- सात दिनों के सूचना पर साधारण बैठक बुलाई जाएगी।
- तीन दिनों की सूचना पर विशेष बैठक बुलाई जाएगी।
- सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी बैठक में भाग ले सकते हैं किन्तु उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा।
- यदि मुखिया विशेष बैठक 15 दिनों के अन्दर नहीं बुलाता है तो उप- मुखिया या एक तिहाई सदस्य 15 दिनों के अन्दर किसी दिन यह बैठक बुला सकेंगे। ग्राम पंचायत के सचिव सदस्यों को बैठक की सूचना देंगे।

बैठक में कोरम

- बैठक का कोरम पूरा करने के लिए आधे निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यों की उपस्थिति जरूरी है।
- यदि कोरम पूरा नहीं हुआ तो एक घंटा तक इंतजार करने के बाद बैठक स्थगित कर दी जाएगी।
- स्थगित बैठक अगले दिन या किसी दूसरे दिन के लिए निर्धारित की जाएगी।
- स्थगित बैठक के लिए भी आधे सदस्यों का हाजिर होना जरूरी है।
- कोरम पूर्ति के बगैर ग्राम पंचायत की बैठक नहीं हो सकती, विधि सम्मत कोई निर्णय तब मान्य होगा जब बैठक में कोरम पूरा होगा। बैठक में निर्णय बहुमत से होगा।
- किसी मुद्दे पर निर्णय के दौरान मतदान की आवश्यकता हो तब बैठक की अध्यक्षता करने वाला मुखिया उप मुखिया अपना वोट देगा और मतों की समानता की स्थिति में पुनः वह अपना निर्णायक वोट देगा।
- किसी बैठक में मुखिया या उप मुखिया का कोई आर्थिक या व्यक्तिगत हित का मामला हो तो न तो वह अध्यक्षता करेगा न बैठक में भाग लेगा और न ही मतदान करेगा।

ग्राम पंचायत के कार्य

- पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना बनाना।
- आर्थिक बजट बनाना।
- प्राकृतिक संकट में सहायता कार्य करना।
- लोक सम्पत्ति से अतिक्रमण हटाना।
- स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना।
- गाँव के आवश्यक आँकड़े को तैयार करना।
- कृषि जिसमें कृषि विस्तार भी शामिल है।
- पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन।
- मत्स्य पालन।
- सामाजिक और फार्म वनोद्योग, लघु वन उत्पाद, ईंधन एवं चारा।
- खादीग्राम और कुटीर उद्योग।
- ग्रामीण गृह निर्माण।
- पेयजल।
- सड़क, भवन, पुलिया, सेतु, फेरी, जल-मार्ग, और अन्य संचार साधन।
- सार्वजनिक गलियों तथा अन्य स्थानों में प्रकाश उपलब्ध कराने और उनके रख-रखाव के लिए बिजली वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण।
- गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत।

- गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
- शिक्षा/प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा सहित।
- व्यस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा।
- पुस्तकालय।
- सांस्कृतिक एवं खेल-कुद कार्यक्रमलाप।
- बाजार एवं मेले।
- ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरण।
- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
- महिला एवं बाल विकास।
- शारीरिक एवं मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण।
- कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का कल्याण।
- जन वितरण प्रणाली।
- सामुदायिक सम्पत्तियों का रख रखाव।
- धर्मशालाओं, छात्रावासों आदि संस्थाओं का निर्माण एवं अनुरक्षण।
- कसाईखानों का निर्माण एवं रख रखाव।
- सार्वजनिक पार्क, खेल-कूद का मैदान आदि का रख रखाव।
- खटालों, कौजी हाउस तथा टेला स्टैण्ड का निर्माण एवं रख रखाव।
- सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ादानों की व्यवस्था।
- झोपड़ियों एवं सड़कों का निर्माण एवं नियंत्रण।
- ग्राम पंचायत की स्थायी समितियाँ।
- ग्राम पंचायत के कामों को प्रभावी तरीके से निपटाने के लिए 6 तरह की समितियाँ हैं।
- योजना समन्वय एवं वित्त समिति।
- उत्पादन समिति।
- सामाजिक न्याय समिति।
- शिक्षा समिति।
- लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति।
- लोक निर्माण समिति।
- प्रत्येक स्थायी समिति में अध्यक्ष सहित निर्वाचन द्वारा कम-से-कम तीन और अधिक से अधिक ग्राम पंचायत के पाँच निर्वाचित प्रतिनिधि ही इसके सदस्य नहीं हो
- प्रत्येक समिति अपने कार्यों को प्रभावी रूप से निपटाने हेतु विशेषज्ञों एवं जनहित से प्रेरित व्यक्तियों में से अधिक से अधिक दो व्यक्तियों को निर्देशित कर सकेगी जो ग्राम पंचायत सदस्य नहीं होगा।
- योजना समन्वय एवं वित्त समिति का पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष मुखिया होगा कुल मिलाकर तीन से अधिक समिति का अध्यक्ष मुखिया नहीं होगा।
- मुखिया प्रत्येक समिति के लिए अध्यक्ष नामित करेगा।
- प्रत्येक समिति में कम-से-कम एक महिला सदस्य होगी।
- सामाजिक न्याय समिति में एक अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य होगा।
- ग्राम पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य अधिकतम तीन समितियों में ही रह सकेगा।
- पंचायत सचिव योजना, समन्वय एवं वित्त समिति का सचिव होगा।

- जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी अन्य समितियों के सचिव के कार्य करने के लिए किसी सरकारी सेवक को नामित करेगा।

ग्राम पंचायत की सम्पत्ति और निधि

- ग्राम पंचायत को सम्पत्ति अर्जित करने, रखने, निपटारा करने और संविदा करने का अधिकार है, किन्तु अचल सम्पत्ति अर्जित करने हेतु सरकार से पहले स्वीकृति लेनी आवश्यक है।
- केन्द्र या राज्य सरकार का स्थानीय प्राधिकारी या अन्य ग्राम पंचायत की ऐसी सम्पत्ति जो ग्राम पंचायत के अनुरक्षण में हो को छोड़कर ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र की अन्य सम्पत्तियाँ ग्राम पंचायत में निहित हो जाएगी। इसका प्रबंधन एवं नियंत्रण ग्राम पंचायत करेगी।
- राज्य सरकार किसी ग्राम पंचायत के अन्तर्गत उपलब्ध कोई सार्वजनिक सम्पत्ति उसे आवंटित कर सकती है और तब वह सम्पत्ति ग्राम पंचायत के नियंत्रण में होगी।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत के नाम से ग्राम पंचायत निधि होगी। इनमें निम्न रकम जमा होगी।
- केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा दिया अंशदान या अनुदान।
- जिला परिषद्, पंचायत समिति या किसी अन्य प्राधिकार द्वारा दिए गए अंशदान या अनुदान।
- केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया ऋण।
- ग्राम पंचायत द्वारा वसूली की गई कर, दर और फीस की सभी राशि।
- ग्राम पंचायत के नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन रखे गये या ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित और निहित किसी भी विद्यालय, अस्पताल, भवन, संस्था एवं निर्माण से संबंधित सभी राशि।
- ग्राम पंचायत के पक्ष में किसी न्यास या धर्मस्व से होने वाली सभी आय या अंशदान के रूप में प्राप्त की गई सभी राशियाँ।
- इस अधिनियम के अधीन और यथा निर्दिष्ट लगाए गए जुर्माने की रकम।
- ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त होने वाली अन्य राशियाँ।

पंचायती राज व्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ

हालांकि, पंचायत व्यवस्था के माध्यम से जातिगत भेदभाव को कम करने में कुछ सकारात्मक परिणाम देखे गए हैं कुछ चुनौतियाँ और सीमाएँ भी हैं।

1. जैसे, कुछ क्षेत्रों में, जातिगत भेदभाव की गहरी जड़ें अभी भी मौजूद हैं जिससे समावेशी प्रतिनिधित्व की नीतियों को लागू करने में बाधाएँ आती हैं।
2. बड़ी और प्रभावशाली जातियों के लोग अक्सर पंचायतों में प्रमुख पदों पर काबिज होते हैं जिससे छोटी जातियों या कमजोर वर्गों के लोगों के लिए अपनी आवाज उठाने और प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करने में कठिनाई होती है।
3. कुछ मामलों में पंचायती राज व्यवस्था में भ्रष्टाचार भी एक बड़ी समस्या है जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आवंटित संसाधनों का उपयोग सही ढंग से नहीं हो पाता है।
4. अपर्याप्त निधि: संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद स्थानीय सरकार को उन्हें सौंपी गई गतिविधियों को पूरा करने के लिए अनुदान और निधि की कमी का सामना करना पड़ता है। पंचायती राज संस्था को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने की आम मांग है। और इसके लिए 15 में वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान में वृद्धि की है।

5. अधिकांश ग्राम पंचायतें कर, किराए और शुल्क के रूप में राजस्व का अपना स्रोत (ओएसआर) जुटाने में अनिच्छुक पाई गईं और इससे विकासात्मक योजनाओं में देरी हुई, लेकिन साथ ही कई ने दुकानों को किराए पर देकर, गृह कर और स्वच्छ जल शुल्क के रूप में ओएसआर एकत्र किया है।
6. वित्तपोषण का उपयोग अनेक परिस्थितियों के कारण बाधित है। अनेक वित्तपोषण स्रोतों से एक बड़ी गतिविधि चलाना कठिन है।
7. सचिव, कम्प्यूटर ऑपरेटर, नर्स, कम्पाउंडर आदि स्टाफ व कार्मिकों की कमी।
8. राज्य द्वारा कई पंचायतों में चुनाव में देरी।
9. विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग दिशा-निर्देश दिए जाने से सरकारी अधिकारियों का काम कम हो जाता है।
10. ग्राम पंचायतों को अपर्याप्त बुनियादी ढांचे की समस्या का सामना करना पड़ता है, उनके पास अपनी दैनिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए कोई अलग भवन नहीं है और इस वजह से वे स्कूलों में बैठकें करते हैं और कुछ पंचायतों के पास बिजली, शौचालय आदि की सुविधा नहीं है।
11. अप्रभावी इंटरनेट उपलब्धता और अपर्याप्त ब्रॉडबैंड कार्यप्रणाली उनके डेटा प्रविष्टि कार्य को कठिन बना देती है।
12. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल निपटान, गांव के क्षेत्रों को अस्वच्छ बनाता है और रहने के लिए अस्वास्थ्यकर वातावरण बनाता है। कई लोग घातक बीमारियों से ग्रस्त हो गए और कई तो जीवित भी नहीं रह पाए।
13. संविधान में स्थानीय सरकार राज्य का विषय है और इस अवधारणा के अनुसार पंचायतों के पास सीमित अधिकार हैं क्योंकि शक्तियों का हस्तांतरण राज्यों के विवेक पर निर्भर है। जैसे ईंधन, चारा, बिजली, गायनिक शिक्षा, प्रशिक्षण आदि के विषय।
14. कुछ पंचायतों में अनिवार्य बैठक नियमित उपस्थिति के साथ नहीं हो रही है, कई ग्राम सभा सदस्य अनियमित हैं और बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं और इससे पंचायतों की गतिविधियों में अनियमितता होती है और मूल मुद्दे अटके हुए हैं।

सुधार के उपाय

- सामुदायिक, सरकारी और अन्य विकासात्मक एजेंसियों के माध्यम से प्रभावी संयोजन/सहलग्नता द्वारा सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाकर ग्रामीण लाभार्थियों के जीवन में एक समग्र परिवर्तन लाना इस समय की तात्कालिक आवश्यकता है।
- सरकार को लोकतंत्र, सामाजिक समावेशन और सहकारी संघवाद के हित में उपचारात्मक कार्रवाई करनी चाहिये।
- स्थायी विकेंद्रीकरण और समर्थन के लिये की जनता की माँग को विकेंद्रीकरण के एजेंडे पर केंद्रित होना चाहिये। विकेंद्रीकरण की माँग को समायोजित करने के लिये एक ढाँचे के विकास की आवश्यकता है।
- कार्य समनुदेशन में स्पष्टता का होना महत्वपूर्ण है और स्थानीय सरकारों के पास वित्त के स्पष्ट एवं स्वतंत्र स्रोत होने चाहिये।

संदर्भ ग्रंथ

1. योजना पत्रिका
2. विकिपीडिया सोशल सर्विस
3. बिहार पंचायती राज विभाग होम पेज
4. बिहार सामाजिक एवं कल्याण विभाग होम पेज

5. दृष्टि कोचिंग नोट्स बिहार के पंचायती राज संस्थाओं की कार्य वाली
6. दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांक 23-09- 2021
7. हिंदुस्तान पत्र 12 मार्च 2021
8. इन्सटीच्यूट ऑफ सोशल साइंसेज- पंचायती राज अपडेट जुलाई-अक्टूबर, नई दिल्ली, 1998
9. अशोक कुमार मुखोपाध्याय, -दी पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन इन वेस्ट बंगाल, दी वर्ल्ड प्रेस प्रा. लि., 1980
10. अमिताभ मुखर्जी, डिसेंट्रलाइजेशन : पंचायत्स इन दी नाइनटी विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1994
11. बी. प्रसाद, - ए रिवल्यूशनरी क्वेस्ट जय प्रकाश नारायण: ए प्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ओ.यू. पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1980
12. अनिरुद्ध प्रसाद, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एण्ड राज वर्कशॉप ऑन डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एण्ड पंचायती राज इन्सटीच्यूशन्स इन बिहार, ए.एन. सिन्हा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, पटना, मई 27-28, 2004,
13. पंचायती राज संस्थाओं के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं कर्मियों के आरंभिक हेतु प्रशिक्षण पुस्तिका - 3, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना, 2012,